फर्द अहकाम

बनाम

ांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
2/1/25	पत्रावली पैश हुई। पी[illegible] साहब अन्य राज्य कार्य में [illegible] है। अत पत्रावली पूर्वा[illegible] [illegible]नांक 20/2/25 को पेश हों।	
26/2/25	[illegible] श हु[illegible]। [illegible]0आ[illegible] ब [illegible] 6/3/25 को [illegible]	
6/3/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साह[illegible] अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अ[illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/5/25 को पेश हों।	
2/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 उप०। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 23/2022
निर्णय दिनांक: 02.04.2025

उनवान

1. नाथू लाल स्वामी पुत्र स्व. श्री रामनाथ स्वामी, आयु 68 वर्ष,
2. सत्यनारायण स्वामी पुत्र स्व. श्री रामनाथ स्वामी, आयु 58 वर्ष,
3. राजू उर्फ राजेश स्वामी पुत्र स्व. श्री हनुमान, आयु 38 वर्ष,
   समस्त जातियान ब्राम्हण (स्वामी), निवासीयान–ग्राम श्री राम की नांगल, त० सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. नवल किशोर स्वामी पुत्र स्व. श्री गोर्वधन लाल,
2. हरिशंकर स्वामी पुत्र स्व. श्री गोर्वधन लाल,
3. कजोड स्वामी पुत्र स्व.श्री रामकरण,
4. भानू स्वामी पुत्र स्व.श्री दुर्गालाल,
5. मोहन लाल स्वामी पुत्र स्व.श्री दुर्गालाल,
6. रवि समी पुत्र स्व.श्री दुर्गालाल,
7. देवी सहाय स्वामी पुत्र स्व.श्री लालाराम,
8. रामजीलाल स्वामी पुत्र स्व.श्री लालाराम,
   निवासीगण– श्रीरामकीनांगल, त० सांगानेर, जिला जयपुर।
9. नाथी देवी पुत्री स्व.श्री रामेश्वर स्वामी, निवासी–ग्राम जोडिदा, तह. फागी, जिला जयपुर।
10. तहसीलदार सांगानेर, तहसील कार्यालय सांगानेर, जयपुर।
11. चौखी ढाणी प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत प्रतिनिधि विकास जैन पुत्र श्री राजेन्द्र जैन, निवासी–प्लाट नं. जी–145, एमआर, जयपुर ग्रीन सेज रोड, ग्राम झाई, अजमेर रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी/प्रार्थी ने वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध ठोस आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी/वादी को सफलता की पूरी–पूरी आशा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की कब्जे व काश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम श्रीरामकीनांगल भू.अभि.नि.क्षेत्र वाटिका, तहसील–सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित मंदिर श्री रघुनाथ जी विराजमान श्रीराम की नांगल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के नाम दर्ज है जिनके प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 मंदिर की सेवा–पूजा व मंदिर के नाम की संपत्ति का उपयोग उपभोग में लेने का अधिकार है, जिनके खसरा नम्बर 407 रकबा 0.1900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 410 रकबा 0.1900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.3300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.2200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 450 रकबा 0.0700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 451 रकबा 0.0900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 452 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

0800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 455 रकबा 0.1700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 456 रकबा 0.1400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 457 रकबा 0.2400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 459 रकबा 0.2100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.1600 नाथूलाल सत्यनारायण हैक्टयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 0.1200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.1600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.4100 हैक्टयर स्थित है एवं खसरा नम्बर 408 रकबा 0.1700 हैक्टयर और खसरा नम्बर 409 रकबा 0.1800 हैक्टयर स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता स्व० गोर्वधन एवं उसका भाई स्व० रामेश्वर का पिता जो प्रार्थीगण के पिता का बड़ा भाई था तथा परिवार में सबसे बडा होने के कारण उक्त खसरा नम्बर 409 व 408 तहसील कार्यालय में अपने नाम से करा लिया। जिनकी मृत्यु होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 ने माननीय न्यायालय ने एक वादपत्र मय अरथाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त दोनों खसरा नंबरान पर स्थगन प्राप्त कर रखा है जो कि वर्तमान में विचाराधीन है, जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 ने स्व० श्री रामेश्वर का दत्तक पुत्र होना बताया गया है और कहा गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता स्व. गोर्वधन के भाई रामेश्वर की पगड़ी बंधी है, जिस कारण उक्त खसरा नंबर 408 व 409 का अप्रार्थी संख्या 1 मालिक व स्वामी है, परंतु ऐसा कोई गोदनामा मृतक रामेश्वर के द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था, इस प्रकार कुल किता 20 कुल रकबा 32008 हैक्टयर अर्थात लगभग 13 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि है जिसे आगे इस वादपत्र में वादग्रस्त संपत्ति के नाम से संबोधित किया गया है जिसका प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 व अप्रार्थी संख्या 9 1/2 हिस्से एवं अप्रार्थी संख्या 7 व 8 का हिस्सा 1/2 निहित है। जिसको प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 उक्त मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज की संपत्ति का उपयोग–उपभोग व मंदिर की सेवा सुश्रषा की एवं मंदिर में भोग की व्यवस्था के लिए अपने बुजर्गान के समय से ही खेती–काश्त करते आ रहे है. उक्त सजरा खानदान के अनुसार उक्त वादग्रस्त संपत्ति अविभाजित संपत्ति है तथा बाहमी बंटवारे के आधार पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 काबिज काश्त है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में वर्तमान में पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण उक्त वादग्रस्त संपत्ति अभी वर्तमान में पड़त पड़ी हुई है। वादग्रस्त संपत्ति पर बाहमी बंटवारे के अनुसार प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर तारबंदी कर रखी है तथा अपने उपयोग उपभोग में ले रहे है। वादग्रस्त संपत्ति पर वर्तमान किसी प्रकार से कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा दोनों पक्षकारान मनबंट के आधार पर ही उपयोग उपभोग लिया जा रहा है। परंतु इसी बीच अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व उसके भाई ने खसरा नम्बर 408 व 409 का कुछ हिस्सा इकरारनामा मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि० को कर उक्त हिस्से का मौके पर सोसायटी को कब्जा सुपुर्द कर दिया। इस कारण सोसायटी के पदाधिकारियों ने अपने सदस्यों को भूखण्ड आवंटित कर दिये और मौके पर कब्जा संभला दिया। अब अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 आपस में मिली भगत कर प्रार्थीगण के हिस्से की संपत्ति जिसमें प्रार्थीगण ने तारबंदी कर रखी है, उक्त तारबंदी को दिनांक 19.07.2020 को तोड़ने व हटाने लगे, तब प्रार्थीगण व उनके परिवारजनों ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को मना किया तो अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ आमादा–फसाद हो गए, जिस पर प्रार्थीगण ने समाज के प्रतिष्ठित लोगों व आस–पास के लोगों से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 से आपसी समझाईश करवायी, परंतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 नहीं माने व प्रार्थीगण के हिस्से की संपत्ति को अपनी बताने लगे व जबरन बाहुबल

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

के आधार पर प्रार्थीगण के हिस्से की संपत्ति की तारबंदी को हटाने लगे, जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा आपत्ति किए जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 व उनके रिश्तेदार मंगलराम व उसकी पत्नी एवं उनकी औरतों ने प्रार्थीगण व उसके परिवारजनों के साथ लाठी, सरिये, कुल्हाडी आदि से मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट भी प्रार्थी संख्या 1 ने पुलिस थाना–सांगानेर सदर, जयपुर में दी, जिस पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 365/2020 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 341, 323, 308 आई०पी०सी० में दर्ज कर अनुसंधान कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं उनके रिश्तेदार मंगलराम व उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं उनके रिश्तेदार मंगलराम व उसकी पत्नी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जिस पर कुछ समय के बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर बाहर आने के बाद तुरंत प्रार्थीगण के हिस्से की संपत्ति पर तारबंदी को तोड़ने व हटाने की कोशिश, जिस पर प्रार्थीगण ने पुनः पुलिस थाना–सांगानेर सदर, जयपुर रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस पुनः रिपोर्ट दर्ज की, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 500/2020 दर्ज की। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपराधिक किस्म के व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रार्थीगण व उनके परिवारजन को धमकी दी कि या तो राजी–खुशी उक्त संपत्ति पर से अपना कब्जा हटा लेवें अन्यथा एक–दो व्यक्तियों को जान से मार दूंगा, क्योंकि हम जेल जाकर आ गए है, हमें जेल का व मुकदमों का कोई भय नहीं है ना ही न्यायालय हमारा कुछ बिगाड़ सकती है व अब भी हम बाहर खुले घुम रहे है। उक्त वादग्रस्त संपत्ति पर अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करने व अपना आधिपत्य की गरज से आतुर है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने हाल ही में ही उक्त वादग्रस्त संपत्ति पर हॉट बाजार लगाने के लिए एक विज्ञप्ति छपवायी, जिसे पूरे गांव व मौहल्ले में वितरित करवाया गया। जबकि प्रार्थीगण के हिस्से की संपत्ति में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को मना करने पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने एलानियां धमकी दी कि पुलिस व प्रशासन उनके प्रभाव में है तथा उनकी राजनीति में भी ऊंची पहुंच है। इसलिए कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने आपस में मिलीभगत करके उक्त वादग्रस्त संपत्ति पर बाहुबल के आधार पर दिनांक 22.01.2022 को हॉट बाजार लगवा दिया तथा उक्त विज्ञप्ति में अपना नाम भी अंकित करवाया है, जो विज्ञप्ति इस वादपत्र के साथ संलग्न है। जिसके कारण यह वादपत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण अधिकारी है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से ता–फैसला मूल वाद के लिए पाबंद करावें कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त संपत्ति पर किसी प्रकार का हॉट बाजार नहीं लगवाएं एवं प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें, मौका की स्थिति यथावत बनाए रखी जावे। ऐसा ना तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 स्वयं करे ना ही अपने एजेंट, सर्वेट कर्मकार इत्यादि से करावें तथा अप्रार्थी संख्या 10 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी 1 ता 8 को उक्त वादग्रस्त सर्पत्ति के बाबत किसी प्रकार अनुमति प्रदान नहीं करें ना ही उक्त संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करें। ऐसा ना तो अप्रार्थी संख्या 10 स्वयं करें ना ही अपने ऐजेंट, सर्वेट, कर्मकार इत्यादि से करावे। अप्रार्थी संख्या 9 विवाह के बाद से ही अपने ससुराल में निवास कर रही है तथा अप्रार्थी संख्या 9 उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार वाद बनाया गया है, परंतु अप्रार्थी संख्या 9 के विरूद्ध किसी प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 10 वादग्रस्त आराजियात का पू. स्वामी है। इस कारण उक्त वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने के कारण अप्रार्थी संख्या 10 को पक्षकार बनाया गया है तथा प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80 सी०पी०सी० के तहत नियमानुसार दो माह का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। क्योंकि दो माह का नोटिस दिया जाकर वादपत्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 वादग्रस्त आराजियात पर हॉट बाजार लगाकर मौके की स्थिति में परिवर्तन कर देंगे, जबरन बाहुबल के आधार पर प्रार्थीगण के उक्त वादग्रस्त संपति के उपयोग उपभोग में बाधा कारित कर देंगे व अपने कुत्सित उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हो जावेंगे। इस कारण धारा 80 (2) सी०पी०सी० के तहत दो माह के नोटिस की छूट प्रदान कर वादपत्र को ग्रहण कर नियमानुसार सुनवाई किए जाना जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा के संतुलन के बिन्दु प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर पूर्णतया प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 इस प्रकरण में विवादित कृषि भूमि पर से जबरन प्रार्थीगण को बेदखल कर देंगे, हॉट बाजार लगवा देंगे व मौके की स्थिति में परिवर्तन कर देंगे, जिससे प्रार्थीगण को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति दृव्य में किया जाना असंभव है।

अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण की ओर से विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त संपत्ति पर किसी प्रकार का हॉट बाजार नहीं लगवाएं एवं प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें, मौका की स्थिति यथावत बनाए रखी जावे। ऐसा ना तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 स्वयं करे ना ही अपने एजेंट, सर्वेंट कर्मकार इत्यादि से करावें तथा अप्रार्थी संख्या 10 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी 1 ता 8 को उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति के बाबत किसी प्रकार अनुमति प्रदान नहीं करें ना ही उक्त संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करें। ऐसा ना तो अप्रार्थी संख्या 10 स्वयं करें ना ही अपने ऐजेंट, सर्वेंट, कर्मकार इत्यादि से करावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 बावजूद रजिस्टर डॉक सूचना उपस्थित नही। प्रतिवादी 3 लगायत 6 के विरूद्ध 19.01.2023 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। मूल वाद में अप्रार्थी संख्या 7, 8 व 9 बावजूद रजिस्टर डॉक सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही हो चुकि है। अतः अप्रार्थी संख्या 7,8 व 9 के विरूद्ध 22.12.2023 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। वादी की ओर से प्रार्थी विकास जैन की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी पेश किया जिसे दिनांक 25.07.2024 को स्वीकार किया जाकर वादी को संशोधित उनवान पेश करने हेतु पत्रावली नियत की गई। दिनांक को 19.09.2024 को संशोधित उनवान पेश होकर पत्रावली बहस हेतु नियत की की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 11 उपस्थित। दिनांक 19.09.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से कोई भी

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही । दिनांक 13.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 11 जवाब बन्द किये जाने के आदेश दिये गये एवं पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 11 सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त संपत्ति पर किसी प्रकार का हॉट बाजार नही लगवाएं एवं प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करें, मौका की स्थिति यथावत बनाए रखी जावे। ऐसा ना तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 स्वयं करे ना ही अपने एजेंट, सर्वेट कर्मकार इत्यादि से करावें तथा अप्रार्थी संख्या 10 को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी 1 ता 8 को उक्त वादग्रस्त सम्पती बाबत किसी प्रकार अनुमति प्रदान नही करें ना ही उक्त संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करें। ऐसा ना तो अप्रार्थी संख्या 10 स्वयं करें ना ही अपने ऐजेंट, सर्वेट, कर्मकार इत्यादि से करावे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए वाद को मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 11 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का आधोपान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन विन्दू विचारणीय हैः– (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामलाः–वादग्रस्त भूमि मंन्दिर श्री रघुनाथ जी विराजमान श्रीरामकीनांगल के नाम से है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 मन्दिर के पुजारी है तथा मन्दिर की सेवा पूजा व मंदिर के नाम की सम्पत्ति का उपयोग उपभोग हेतु काबिज काश्त है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 द्वारा अविभाजित संयुक्त कृषि भूमि में काश्त करते आ रहें है। जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें मंन्दिर श्री रघुनाथ जी विराजमान श्रीरामकीनांगल के नाम से दर्ज रिकार्डेड काश्तकार है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 पुजारी की हैसियत से उपयोग उपभोग व काश्त करते आ रहें है। समस्त काश्तकार अपनी सहुलियत के हिसाब से वादग्रस्त सम्पति पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।,

(2) सुविधा का संतुलन एवं (3)अपूरणीय क्षतिः–उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 पुजारी है जो की मन्दिर श्री राघुनाथ जी महाराज के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है, और सभी पुजारी मनबट के आधार पर बिना काबिज है तथा किसी भी पुजारी द्वारा विधिवत विभाजन करवाये किसी भी पुजारी द्वारा विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू–भाग का विक्रय कर दिया गया तो वाद की बहुलता बढेगी एवं प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी

है अतिरिक्त असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण को होगी। प्रार्थी की काबिज अवस्था मे अप्रार्थीगण तारबन्दी तोडकर अपने कब्जे में लेकर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है जो कि अप्रार्थीगण को ऐसा कोई अधिकारी प्राप्त नही है।

उक्त तीनो बिन्दू प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है इसलिए उसके पक्ष में तय किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम श्रीराम की नांगल पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू.अ०नि० क्षेत्र वाटिका, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर स्थित अविभाजित वादग्रस्त कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 407 रकबा 0.1900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 410 रकबा 0.1900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 448 रकबा 0.3300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 449 रकबा 0.2200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 450 रकबा 0.0700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 451 रकबा 0.0900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 452 रकबा 0.0800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 455 रकबा 0.1700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 456 रकबा 0.1400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 457 रकबा 0.2400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.0200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 459 रकबा 0.2100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.1600 नाथूलाल सत्यनारायण हैक्टयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 0.1200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.1600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.4100 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 408 रकबा 0.1700 हैक्टयर और खसरा नम्बर 409 रकबा 0.1800 हैक्टयर भूमि में किसी भी प्रकार का हाट बाजार नही लगवाएं एवं प्रार्थीगण के उपयोगग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे। वादग्रस्त सम्पति में राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, ना ही किसी प्रकार कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर